फाइल नं0-71-1002/1/2022

153/2023/I/439231/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 दिसम्बर, 2023

विषयः- पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मेरठ, आगरा से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज एवं कानपुर में कालेज ऑफ नर्सिंग के संचालन हेतु उपकरणों/सामग्रियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1415/डा0आर0एम0आई0एम0एस0/एम0एम0(ई0क्यू0)/2023-24, दिनांक 17.07.2023 एंव पत्र संख्या-1607/डा0रा0म0लो0आ0स0/एम0एम0(ई0क्यू0)/2023-24, दिनांक 01.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु 171 प्रकार की सामग्रियों (मेडिसिन, रिजेयण्ट, सर्जिकल, कंज्यूमेबल्स, सूचर इत्यादि) के क्रय हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित करने एवं मैनीकन्स, मॉडल एवं चार्ट क्रय के क्रय हेतु विशिष्टियों का पुनः निर्धारण समिति से कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-100/2022/I/216625/2022-71-1002/1/2022, दिनांक 22.09.2022 द्वारा पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मेरठ, आगरा से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज एवं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर के संचालन हेतु उपकरणों एवं अन्य की संलग्न सूची अनुमोदित करते हुए रू0 9,84,64,944.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 7,50,00,000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए नर्सिंग के संचालन हेतु उपकरण, फर्नीचर, पुस्तकें, कंज्यूमेबिल्स आदि के क्रय हेतु निदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को अधिकृत किया गया।

3- इस सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

1. पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, मेरठ, आगरा से सम्बद्ध नर्सिंग कालेज एवं कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर के संचालन हेतु 171 प्रकार की सामग्रियो (मेडिसिन, रिजेयण्ट, सर्जिकल, कंज्यूमेबल्स, सूचर इत्यादि) के क्रय एवं स्किल लैब की स्थापना हेतु मैनीकन्स, मॉडल एंव चार्ट के क्रय हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्यगण को अधिकृत किया जाता है।
2. प्रकरण की प्राथमिकता के दृष्टिगत जिन सामग्रियों के स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नहीं है उनके लिए प्रधानाचार्य स्थानीय स्तर पर समिति का गठन करें तथा समिति की संस्तुति पर सामग्रियों का क्रय सुनिश्चित करें। सामग्रियों के स्पेसिफिकेशन की निष्पक्षता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/क्रय समिति का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. निदेशक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा नर्सिंग कालेज हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि को सम्बन्धित प्रधानाचार्यगण के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाए।
4. अवशेष सामग्रियो का क्रय यदि डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा हस्तांरित बजट के माध्यम से सम्भव नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में सम्बन्धित कालेज बजट की मॉग निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
5. प्रधानाचार्यगण द्वारा सामग्रियों की क्रय प्रकिया सुसंगत वित्तीय नियमों एवं पारदर्शिता के साथ की जाएगी। किसी विचलन की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्यगण/क्रय समिति का होगा।
6. शासनादेश संख्या-111/2022/1/227059/2022-71-1002/1/2022, दिनांक 19.10.2022 द्वारा नर्सिंग कालेज के संचालन हेतु उपकरणों एवं अन्य की संशोधित सूची में उल्लिखित उपकरणों/सामग्रियों का क्रय शासनादेश दिनांक 22.09.2022 द्वारा अवमुक्त धनराशि से किया जाएगा।

भवदीय,

(एस0पी0 सिहं)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. निदेशक, पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।
7. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज/प्रयागराज/मेरठ/आगरा।
8. प्रधानाचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर।
9. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झांसी/गोरखपुर/कन्नौज/प्रयागराज/मेरठ/आगरा/कानपुर।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, झांसी/गोरखपुर/कन्नौज/प्रयागराज/मेरठ/आगरा/कानपुर।
11. जे0डी0एम0एम0, डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ।
12. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in